कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1000 /11–सी–FP/UP/Road/18934/2016, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 10 ,2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– बहराइच वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–730 के किमी0 248.400 से किमी0 280.000 तक (बहराइच–श्रावस्ती सेक्शन) मार्ग चौड़ीकरण परियोजना हेतु 20.072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2320 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत एन0एच0–730 (बहराइच–बलरामपुर मार्ग) के किमी0 280 से 310 के मध्य मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 14.991 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2322 वृक्षों के पातन, अर्थात कुल 35.063 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 4642 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/61/2017/एफ0सी0/103, दिनाँक–18.09.2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–भा0स0 183/14–2–2017–800(94)/2017, दिनांक–22.09.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयॉकित प्रकरण में वांछित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा ने अपने पत्रांक–1498/10–1, दिनाँक–06.10.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की दो मूल प्रतियॉ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रस्ताव की एक मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज, लखनऊ को संदर्भित करने की कृपा करें।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.10.2017 को आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विषयगत प्रस्ताव अनुमोदन हेतु सम्मिलित किया गया है।

संलग्नकः–यथोक्त (सीडी सहित)।

भवदीय

10/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी– FP/UP/Road/18934/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में।
2. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोंडा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती एवं बहराइच।
4. अधिशाषी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, लखनऊ।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1385